बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक...............   दिनांक,..................

5(स0) अपील (कृष्णा फूड प्रोडक्ट) 44/2015

निबंधित

प्रेषक,

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सर्वश्री कृष्णा फूड प्रोडक्ट,
श्री अजीत कुमार स्थाना,
505, कल्पना प्लाजा, बिरहाना रोड
कानपुर, उत्तर प्रदेश,
ग्राम– अंचारा खुर्द, पिनः– 208001

विषयः– दायर अपीलवाद सं0– 44/2015 की सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री कृष्णा फूड प्रोडक्ट, पूर्णिया बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5003   दिनांक 02/11/2016

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/~~आई0टी0~~ मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
31/X/16

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 44/2015

सर्वश्री कृष्णा फूड प्रोडक्ट, मरंगा, पूर्णियाँ

बनाम्

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

13.07.2016

यह अपील सर्वश्री कृष्णा फूड प्रोडक्ट, मरंगा, पूर्णियाँ द्वारा इकाई को औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा, पूर्णियाँ में आवंटित भू–खण्ड का आवंटन बियाडा के ज्ञापांक 995/डी0 दिनांक 08.10.2015 द्वारा रद्द किये जाने के विरुद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित हैं। उभय पक्षों को सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें वर्ष 2010 में औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा, पूर्णियाँ में 5000 वर्गफीट, प्लॉट सं0 17(p) में पत्रांक 14/con/ED Cell patna डी0 दिनांक 07.12.2010 द्वारा बेकरी उद्योग स्थापना हेतु भूमि आवंटित किया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि आवंटित भूमि की चाहरदिवारी कर मुख्य द्वार निर्मित कर दिया गया है। स्थल पर मिट्टी की भराई कर एवं शेड निर्माण हेतु 03 फीट ऊँची पिल्लर का निर्माण कराया गया है। स्थल तक बिजली का पोल नहीं है। बिजली कनेक्शन हेतु विद्युत विभाग में आवेदन समर्पित किया गया है। स्थल पर बहुत जल्द ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर लिया जायेगा। अंत में अपीलकर्ता ने बियाडा के आदेश ज्ञापांक 995/डी0 दिनांक 08.10.2015 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के आलोक में रद्दीकरण आदेश को विलोपित करते हुए ज्ञापांक 95/डी0 दिनांक 25.01.14 के द्वारा इकाई का भू–आवंटन पुनर्बहाल किया गया। भू–आवंटन पुनर्बहाल के पश्चात् स्थल पर औद्योगिक गतिविधि नहीं करने के फलस्वरुप इकाई को पत्रांक 1132/डी0 दिनांक 18.10.14 एवं पत्रांक 205/डी0 दिनांक 03.03.15 के द्वारा अंतिम नोटिस दिया गया। नोटिस के जवाब में दिनांक 20.04.15 को पुनः इकाई द्वारा विद्युत समस्या को दर्शाया गया। इकाई का अद्यतन स्थलीय निरीक्षण पत्रांक 37 दिनांक 04.08.15 में भी स्थल पर कोई औद्योगिक गतिविधि होते नहीं देखी गई, स्थल पर पूर्व का ही चाहरदिवारी एवं निर्मित पिल्लर, पश्चित दिशा में शेड निर्माण हेतु एक दिवार एवं मुख्य द्वार निर्मित है, जो प्रतिदिन बंद रहता है। अंत में बियाडा के आदेश ज्ञापांक 995/डी0 दिनांक 08.10.2015 द्वारा इकाई को लम्बी

अवधि से किसी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि के अभाव में आवंटित भूमि को रद्द कर दिया गया।

उभय पक्षों द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन के अवलोकन एवं तर्कों से यह स्पष्ट है कि इकाई को वर्ष 2010 में बेकरी उद्योग स्थापना हेतु भूमि आवंटित किया गया था । इकाई द्वारा उद्योग स्थापना के लिए दिये गये समय–सीमा के अन्दर कोई ठोस एवं सार्थक प्रयास नहीं किये जाने के कारण बियाडा द्वारा समय–समय पर नोटिस निर्गत किया गया है। बियाडा के show cause Notice के जवाब में इकाई द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया गया प्रतीत होता है। अपीलकर्त्ता द्वारा उद्योग लगाने के लिए किसी भी तरह का तत्परता नहीं दर्शाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्त्ता प्राधिकार को उलझा का भूमि को अपने कब्जे में अन्य उद्देश्य के लिए रखना चाहते हैं। उपर्युक्त स्थिति में इकाई को आवंटित भू–खण्ड को रद्द करने का 'बियाडा' का आदेश सही है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

21/10/2016
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

21/10/2016
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

D:mydocument:A.Roy:Adeshfalak